भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2374

उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

पीएम श्री योजना का कार्यान्वयन

†2374. श्री शफी परम्बिल:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 2025 तक पीएम श्री योजना की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति और कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर राज्य/तिथि-वार कब-कब हस्ताक्षर किए;

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक केरल राज्य सरकार को कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है तथा इसके वितरण/जारी होने की तिथि क्या है;

(घ) क्या किसी राज्य सरकार को पीएम श्री योजना के संबंध में केन्द्र सरकार के साथ किए गए/हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन/समझौते को रद्द करने का अधिकार है; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार के इस नीति परिवर्तन से संबंधित राज्य को एसएसए निधि के वितरण पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ड़): प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम एसएचआरआई) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र सरकार/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जाते हैं। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सभी पहलों का प्रदर्शन करना है, जो अनुकरणीय स्कूल होंगे, वे पड़ोस के अन्य स्कूलों को बेंचमार्किंग नेतृत्व भी प्रदान करेंगे।

पीएम श्री योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पीएम श्री स्कूलों के रूप में निर्दिष्ट गुणवत्ता आश्वासन प्राप्त करने के लिए इन स्कूलों का समर्थन करने की प्रतिबद्धताएं निर्धारित की गई हैं। पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन के लिए जिस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, वह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/तिथि-वार सूची **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न की गई है।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, पीएम श्री स्कूलों का चयन चुनौती मोड के माध्यम से किया जाता है, जिसमें स्कूल अनुकरणीय स्कूल बनने के लिए समर्थन हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। पीएम श्री योजना के तहत, केविस., नविस. और एनसीईआरटी के साथ 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 13,076 स्कूलों का चयन किया गया है। दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार पीएम श्री योजना के तहत चुने गए स्कूलों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र/ केविस./ नविस./एनसीईआरटी-वार संख्या **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न है।

केरल राज्य ने दिनांक 23 अक्टूबर 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद पीएम श्री स्कूलों के चयन के लिए पारदर्शी चुनौती मोड का पालन किया जाना है। केरल राज्य से पीएम श्री पोर्टल पर स्कूलों की जानकारी अपलोड करने का अनुरोध किया गया है। पीएम श्री स्कूलों के चयन के बाद, राज्य अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होता है। तत्पश्चात् इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और योजना के कार्यक्रम संबंधी तथा वित्तीय मानदंडों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इनका मूल्यांकन और अनुमोदन/आकलन किया जाता है।

समग्र शिक्षा योजना को एनईपी के अनुरूप किया गया है और इसका कार्यान्वयन एनईपी 2020 का कार्यान्वयन है और पीएम श्री स्कूल एनईपी 2020 के अनुकरणीय स्कूल हैं।

*****

<u>अनुलग्नक-I</u>

"पीएम श्री योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री शफी परम्बिल द्वारा दिनांक 15.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2374 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन के लिए जिस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, उसकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/तिथि-वार सूची इस प्रकार है:

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि
1	महाराष्ट्र	06-10-2022
2	हरियाणा	06-10-2022
3	कर्नाटक	12-10-2022
4	जम्मू और कश्मीर	13-10-2022
5	मध्य प्रदेश	13-10-2022
6	राजस्थान	14-10-2022
7	गुजरात	14-10-2022
8	मेघालय	14-10-2022
9	दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप समूह	14-10-2022
10	चंडीगढ़	14-10-2022
11	असम	14-10-2022
12	आंध्र प्रदेश	17-10-2022
13	उत्तर प्रदेश	19-10-2022
14	त्रिपुरा	20-10-2022
15	अरुणाचल प्रदेश	25-10-2022
16	पुडुचेरी	28-10-2022
17	पंजाब	28-10-2022
18	उत्तराखंड	28-10-2022
19	लद्दाख	01-11-2022
20	मणिपुर	04-11-2022
21	छत्तीसगढ़	04-11-2022
22	गोवा	04-11-2022
23	मिजोरम	11-11-2022
24	सिक्किम	11-11-2022
25	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14-11-2022
26	लक्षद्वीप	17-11-2022
27	नागालैंड	21-11-2022
28	तेलंगाना	15-12-2022
29	हिमाचल प्रदेश	04-03-2023
30	झारखंड	30-06-2023
31	बिहार	04-03-2024
32	ओडिशा	09-07-2024
33	दिल्ली	22-10-2024
34	केरल	23-10-2025

*****

<u>**अनुलग्नक-II**</u>

"पीएम श्री योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री शफी परम्बिल द्वारा दिनांक 15.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2374 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 31.10.2025 तक पीएम श्री योजना के तहत अब तक चयनित स्कूलों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केवि/नविस/एनसीईआरटी-वार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केवि/एविस/एनसीईआरटी**	**पीएम श्री स्कूलों की संख्या**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	16
2	आंध्र प्रदेश	935
3	अरुणाचल प्रदेश	93
4	असम	382
5	बिहार	836
6	चंडीगढ़	2
7	छत्तीसगढ	341
8	दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप समूह	7
9	दिल्ली	6
10	गोवा	28
11	गुजरात	463
12	हिमाचल प्रदेश	199
13	हरियाणा	250
14	जम्मू और कश्मीर	396
15	झारखंड	363
16	कर्नाटक	585
17	लद्दाख	37
18	लक्षद्वीप	11
19	मध्य प्रदेश	799
20	महाराष्ट्र	860
21	मणिपुर	121
22	मेघालय	65
23	मिजोरम	35
24	नगालैंड	49
25	ओडिशा	762
26	पुदुचेरी	12
27	पंजाब	356
28	राजस्थान	639
29	सिक्किम	47
30	तेलंगाना	794
31	त्रिपुरा	84
32	उत्तराखंड	241
33	उत्तर प्रदेश	1725
34	केविस	913
35	नविस	620
36	एनसीईआरटी	4
	कुल	**13076**

*****